# बरली की दुनिया

बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान इन्दौर की मासिक समाचार पत्रिका

"मानव जाति एक पक्षी के समान है, जिसके दो पंख हैं, एक पुरूष दूसरा स्त्री। जब तक दोनों पंख मजबूत न होंगे, एक सॉझी शक्ति द्वारा हिलाएं न जाएंगे, तब तक पक्षी की आकाश में ऊँची उड़ान असम्भव है।"

वर्ष –1 | अंक 6 | अगस्त 2007 | मूल्यः 5 रू.


## हम और हमारा भारत

हम जिस देश में रहते हैं उसका नाम भारत है। पूरी दुनिया हमारे देश को भारत और इसमें रहने वाले लोगों को भारतीय के नाम से जानती है। हमें अपने देश के बारे में जानकारी होना जरूरी है। ''बरली की दुनिया'' के इस अंक में आप भारत के बारे में जानें और सभी को बताएं कि हमारा देश कितना बड़ा व महान है, फिर सोचें और समझें कि हमें इस देश में बहुत अधिकार मिले हैं लेकिन हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। पहले हम जानें और फिर आसपास के लोगों को बताएं।

### भारत की आज़ादी

आज़ादी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास सारे सुख और सभी तरह के आराम हों, अगर आज़ादी न हो तो हमारी जिंदगी कैद की तरह होगी। 150 सालों तक भारत अंग्रेजों की गुलामी में था। 15 अगस्त 1947 को हजारों लोगों के बलिदान और संघर्ष के बाद हमें आज़ादी मिली है। 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। हम इसे बहुत उत्साह से मनाते हैं। यह आज़ादी का 60 वां साल है।

### भारत का संविधान

संविधान हमारे देश के नियम व कानून की किताब है। यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसलिए हम 26 जनवरी को 'गणतंत्र दिवस' के रूप में मनाते हैं। भारत में सबसे से ऊंचा दर्जा संविधान का है। इस किताब में हर नागरिक को मौलिक अधिकार मिले हैं। इन अधिकारों का उद्देश्य है धर्म, जाति, भाषा या किसी और कारण से किसी के साथ भेदभाव या अन्याय न हो। भारत के हर नागरिक के लिए कुछ कर्तव्य भी लिखे हुए हैं, जिनका पालन करना हर नागरिक के लिए जरूरी है चाहे वह किसी भी राज्य में रहता हो, कोई भी भाषा बोलता हो, किसी भी धर्म का पालन करता हो, स्त्री हो या पुरूष, जवान हो या बूढ़ा।

संविधान में ही सरकार बनाने, सरकार चलाने, देश के कानून बनाने, लागू करने तथा संविधान में बदलाव करने के तरीके लिखे हुए हैं। अगर कोई कानून का पालन नहीं करता तो उसे सजा मिलती है।

राज्य और केंद्र शासित प्रदेश

सरकार चलाने के लिए देश को कई राज्यों में बांटा गया है। भारत में 29 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हर राज्य की अपनी सरकार है। (1) आंध्रप्रदेश (2) असम (3) अरूणाचल प्रदेश (4) बिहार (5) छत्तीसगढ़ (6) दिल्ली (7) गोवा (8) गुजरात (9) हरियाणा (10) हिमाचल प्रदेश (11) जम्मू एवं काश्मीर (12) झारखंड (13) कर्नाटक (14) केरल (15) मध्यप्रदेश (16) महाराष्ट्र (17) मणिपुर (18) मेघालय (19) मिजोरम (20) नागालैंड (21) उड़ीसा (22) पंजाब (23)राजस्थान (24) सिक्किम (25) तमिलनाडु (26) त्रिपुरा (27) उत्तरप्रदेश (28) उत्तराखंड (29) पश्चिम बंगाल।

केंद्र शासित प्रदेश –केन्द्र शासित का मतलब इनका प्रशासन केन्द्र सरकार दिल्ली द्वारा होता है। (1) अंडमान और निकोबार (2) चण्डीगढ़ (3) दादरा और नागर हवेली (4) लक्षद्वीप (5) पाण्डिचेरी व (6) दमन और दियु।

हमारा तिरंगा झंडा

हर देश का एक झंडा होता है। हमारे देश का भी झंडा है। झंडा हमारी आन,बान और शान और पहचान है। हमारे झंडे में तीन पट्टियां हैं केसरिया, सफेद और हरे रंग की।

इसलिए हम झंडे को तिरंगा कहते है। सबसे ऊपर की पट्टी का रंग केसरिया है जो हमें साहस व दूसरों के लिए बलिदान देने की प्रेरणा देता है। बीच वाली पट्टी सफेद रंग की है जो हमें शांति एवं सत्य का संदेश देती है। सबसे नीचे की पट्टी हरे रंग की है जो विकास और संपन्नता की निषानी है। सफेद रंग की पट्टी में एक चक्र है जिसे अशोक चक्र कहते हैं। यह चक्र सदा आगे बढ़ने और हमेशा विकास का रास्ता दिखाता है। हर साल भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त और 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराते हैं। देश के हर राज्य में और केन्द्र शासित प्रदेशों, कार्यालयों व जन संस्थानों में भी झंडा लहराया जाता है। हमारा राष्ट्रीय गान 'जन गण मन' तथा राष्ट्रीय गीत 'वन्दे मातरम' है।

अनेकता में एकता

हमारे देश की विषेषता 'अनेकता में एकता' है। जिस तरह एक बगीचा तरह–तरह के रंग–बिरंगे फूलों के कारण सुंदर दिखता है। उसी तरह हमारे देश की सुंदरता व प्राण इसकी अनेकता में है। देश के बहुत से लोग हिमालय से लेकर समुद्र तक बसे है। देश की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार सौ करोड़ सत्ताईस लाख, पंद्रह हजार, दो सौ सैतालीस (100,27,15,247) है। हमारे देष का हजारों वर्षो का इतिहास है। यहां पर रहने वाली अनेकों जातियां, उपजातियां, धर्म, भाषा, संस्कृति, परंपराएं, विश्वास अलग–अलग हैं। लोग तरह–तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग–अलग तरह का खाना खाते हैं, मकान बनाने, खेती करने का अलग ढंग है। अपने–अपने देवी–देवताओं को मानते है, अलग–अलग जलवायु है, सब कुछ अलग होने के बाद भी हम सब एक है। आज के युगावतार बहाउल्लाह ने कहा है कि सारी दुनिया एक बगीचे के समान और एक परिवार के समान है। उन्होंने कहा ''तुम एक हाथ की उंगलियों तथा शरीर के अंगो की भाँति बनो।'' इसलिए हमें मिलजुलकर रहना चाहिए।

धर्म

भारत के हर नागरिक को अपनी इच्छा से कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार दिया गया है। हमारे देश में हिन्दु, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, यहूदी, बहाई और जैन व अन्य धर्म को मानने वाले लोग भी रहते हैं।

भारतीय संस्कृति

भारतीय संस्कृति दुनिया की पुरानी संस्कृतियों में से एक है। संस्कृति का मतलब विचार, काम, समाज, नीति, राजनीति, साहित्य, परम्पराएं, रीतिरिवाज, धर्म, मानवीय मूल्य, खान–पान, रहन–सहन, आचार–विचार, त्यौहार, कपड़े पहनना, नाच–गाना, भोजन बनाना व परोसने के तरीके, कला आदि हैं। भारत देश कई राज्यों में फैला हुआ है। हर राज्य की अपनी संस्कृति है। भारत की संस्कृति विशाल है। माता–पिता मरने से पहले अपने बच्चों को घर, जमीन, जायदाद, रूपया, अपनी संस्कृति देकर जाते हैं। इसलिए भारत को सांस्कृतिक विरासत वाला देश कहा जाता है।

भाषा

हर देश की एक राष्ट्रभाषा होती है जिसे उस देश में रहने वाले सभी लोग बोलते है। भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी है। भारत के संविधान में हर नागरिक को अपनी पसंद की भाषा का उपयोग करने का अधिकार दिया है। हर राज्य के लोग अपने राज्य की बोली बोलते हैं जैसे मध्यप्रदेश में रहने वाले हिन्दी, गुजरात में रहने वाले गुजराती बोलते है। भारत में 1,652 तरह की बोलियां बोली जाती हैं जैसे भीली, भिलाली, मालवी, निमाड़ी। भारत सरकार ने 18 भाषाओं को मान्यता दे रखी है।

लोकतांत्रिक देश

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों के द्वारा, लोगों के हित के लिए, लोग अपनी

सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। लोकतंत्र में लोग ही सब काम करते हैं। उनके चुने हुए प्रतिनिधि सबकी भलाई को ध्यान में रखते हुए सरकार चलाते हैं। लोगों को अपनी बात, विचार, लिखने, बोलने, आलोचना करने की स्वतंत्रता होती है। अपने अधिकारों को पाने के लिए लोगों को प्रदर्शन करने, धरना देने का अधिकार है लेकिन उसकी कानूनी सीमाएं है। यह शासन संविधान में दिए गए कानून व नियमों के अनुसार ही चलाया जाता है।

लोकतंत्र की सफलता के लिए इस देश में रहने वाले लोगों को शिक्षित, जागरूक होना जरूरी है। अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। अपने अधिकार तथा कर्तव्यों का ज्ञान हो। अगर लोग जागरूक व सचेत नहीं होंगे तो उनके चुने हुए प्रतिनिधि मनमानी कर सकते है। इसलिए सही प्रतिनिधि को चुनना चाहिए।

देश के प्रति हमारे कर्तव्य

भारत को हम मातृभूमि कहते है। हमारा जीवन अपने लिए ही नहीं समाज और देश के लिए भी है। देश की आन, बान और शान की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सभी की है। इसलिए अपने देश के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं। हमें अपने कर्तव्यों के बारे में जानकारी होना चाहिए।

सरकार के प्रति वफादारी

सरकार के प्रति वफादारी यानी सरकार के प्रति ईमानदार रहना, सरकार के बनाए नियमों, कानूनों को मानना, नियमों पर चलना, किसी भी हालत में कोई भी नियम नहीं तोड़ना। बहाउल्लाह ने लिखा है, ''प्रत्येक देश या सरकार में जहाँ इस समाज के कुछ लोग रहते हों, वे अवश्य ही उस सरकार के प्रति वफादारी, विश्वास तथा सत्यता का व्यवहार करें, यदि कोई इंसान सरकार के प्रति वफादार नहीं है तो वो अपने धर्म के प्रति भी वफादार नहीं हो सकता।'' एक अच्छे समाज, सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए सरकार के नियमों तथा कानूनों के प्रति वफादारी जरूरी है। हर इंसान अपने परिवार में ही वफादारी का पाठ सीखता है। उसे परिवार में प्रेम, एकता, भाईचारा, सेवा, त्याग व वफादारी की शिक्षा दी जानी चाहिए।

देश के प्रति प्रेम

हर इंसान अपने घर व परिवार की भलाई का सोच कर काम करता है। घर की चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। यदि घर के बर्तन, कपड़े या दूसरा कोई भी नुकसान हो रहा हो तो वह उसे हर हाल में बचाने की सोचता है। परिवार पर कोई मुसीबत आती है तो वह जी जान से उस मुसीबत से निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि वह अपने घर व परिवार से प्रेम करता है। इसी तरह हर इंसान के मन में अपने देश के लिए भी प्रेम होना चाहिए। हमारे जंगल, पेड़–पौधे, जानवर, नदियाँ, पहाड़, स्कूल, बगीचे, बस, रेलगाड़ी, सड़क, पुल, घर, दुकान, फैक्ट्रियां, हवाई अड्डे आदि देश की संपत्ति हैं जिनको किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होने देना चाहिए, उन्हें हर तरीके से बचाना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। देशप्रेम केवल बोलने या देशप्रेम के गीत गाने से नहीं होता है। वास्तव में वो गीत सच करने होंगे। इसके लिए हर इंसान को प्रयास करने होगें जिससे देश का विकास हो और देश आगे बढ़ सकें। बहाउल्लाह ने अपने पवित्र ग्रंथ में लिखा है, ''सभी व्यक्ति एक प्रगतिशील सभ्यता को आगे ले जाने के लिए उत्पन्न किये गये हैं.....। वे पृथ्वी के सभी लोगों तथा सम्बन्धियों के प्रति सहनशीलता, दया, सहानुभूति तथा प्रेमपूर्ण दयालुता रखें।''

देशप्रेम के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है, 'मैं देश प्रेम को अपने धर्म का ही हिस्सा समझता हूं। देशप्रेम के बिना धर्म का पालन पूरा हुआ, कहा नहीं जा सकता।'' स्वामी रामतीर्थ ने लिखा है कि ''मेरी वास्तविक आत्मा सारे भारत की आत्मा है। जब मै चलता हूं तो अनुभव करता हूं सारा भारत चल रहा है। जब मै बोलता हूं तो लगता है कि भारत बोल रहा है। जब मै सांस लेता हूं तो महसूस करता हूं कि भारत सांस ले रहा है। मैं भारत हूँ।'' सरदार पटेल कहते थे 'देश की सेवा में जो मिठास है, वह और किसी चीज में नहीं।' कथाकार प्रेमचंद ने लिखा 'खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है।''

राष्ट्रीय एकता और भाईचारा

भारत में रहने वाले हर इंसान को संविधान में भारत का नागरिक कहा गया है। उनमें जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। पुराने समय से चले आ रहे छुआछूत, छोटी–बड़ी जाति के अन्तर को समाप्त कर दिया गया है व सभी को समानता का अधिकार दिया है। कानून बनाकर समाज में फैली बुराईयों को तब तक नहीं मिटाया जा सकता जब तक कि देश में धार्मिक, सामाजिक व राजनैतिक पक्षपात खत्म न हो जाएं और पूरे देश में एकता हो जाए। बहाई लेखों में लिखा है कि ''एकता का तम्बू तान दिया गया है एक दूसरे को अजनबी मत समझो। तुम एक ही वृक्ष के फल, एक ही शाखा के पत्ते हो।'' यानी सभी को एक साथ मिलकर रहना चाहिए व एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए। इससे एकता लाई जा सकती है। मुसीबत के समय अकेला इंसान घबरा जाता है। जब सभी आपस में मिलकर रहेंगे तो सभी काम सरलता से हो जाएंगे। जिस तरह एक अकेली उंगली बहुत सारा वजन नहीं उठा

सकती है लेकिन जब पूरी उंगलियों से वजन उठाया जाता है तो वजन उठाने में सरलता हो जाती है। इसी तरह देश में आपसी एकता व भाईचारे को बढ़ाकर देश का विकास किया जा सकता है।

समुदाय की सेवा

हम सभी अपने देश के अंग है। जिस प्रकार शरीर के सभी अंग अपना–अपना कार्य करते हैं उसी प्रकार हमारा अपना काम होता है। कोई खेती कर देश को अनाज देते हैं, व्यापार कर देश को सम्पन्नता देते है, शिक्षा देकर लोगों को ज्ञानी बनाते है, कोई समाज सुधार का काम कर देश के विकास में योगदान देते हैं। जब कोई इंसान काम करता है तो वह देश का ही काम होता है। वह अपने ज्ञान और बुद्धि के अनुसार काम कर समुदाय की सेवा ही करता है। उनके द्वारा आगे बढ़ने के लिए किया गया हर प्रयत्न देश के विकास के लिए ही होता है। देश का कल्याण देश में रहने वालों पर ही निर्भर होता है। चाहे वह गरीब हो या अमीर, निरक्षर या साक्षर किसी भी तरह की योग्यता रखते हों सभी का कर्तव्य है देश की सेवा करना। जब कोई इंसान हर काम या ड्यूटी को प्रेम व त्याग से करता है तो वही सच्ची सेवा है। सेवा से महान कोई चीज नहीं है। देश और दुनिया को अच्छा बनाने के लिए हमें दूसरों के बारे में सोचना और काम करना जरूरी है। हर इंसान को अपने हिस्से की सेवा करनी चाहिए। जब सभी अपना काम जिम्मेदारी से करेंगे तो दूसरों के ऊपर उस काम को खत्म करने का बोझ नहीं होगा। हम ज्यादा से ज्यादा काम को पूरा कर दूसरों का सहयोग करते हैं। दूसरों की सेवा, सहायता और प्रगति के लिए हम सभी को तैयार होना होगा तभी हम अपने देश को उन्नति के रास्ते पर ले जा सकते हैं।

स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान

• रानी लक्ष्मीबाई

हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई सन् 1857 से हुई थी। उस समय की याद करते ही हमें याद आती हैं 'झांसी की रानी' लक्ष्मीबाई की, ''खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।'' के नाम से जानी जाती हैं। लक्ष्मीबाई का जन्म 16 नवंबर 1835 में एक मराठा परिवार में हुआ था। इन्होंने सामान्य शिक्षा एवं युद्ध कला का प्रशिक्षण पाया था। झांसी के राजा गंगाधरराव के साथ उनका विवाह हुआ। गंगाधरराव की मृत्यु हो जाने के बाद लक्ष्मीबाई झांसी का कामकाज चलाने लगी। गंगाधरराव का कोई बच्चा नहीं था इसलिए रानी ने दामोदरराव को गोद लिया और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। अंग्रेज सरकार ने इसे नहीं माना और झांसी को हड़पकर अपने राज्य में मिला लिया। रानी ने बड़ी होशियारी और चतुरता से इस कठिन परिस्थिति का सामना किया और झांसी के किले पर अपना कब्जा वापस ले लिया। क्रोध में आकर अंग्रेज सेना ने झांसी पर हमला कर दिया और युद्ध शुरू हुआ। किले के पहरेदार खुदाबख्श तथा तोपची गौस खां शहीद हो गए। किले पर अंग्रेज आसानी से कब्जा कर लेंगे यह सोचकर रानी ने अपने बेटे को पीठ से बांधा और घोड़े पर सवार होकर किले से नीचे कूद पड़ी। वह कालपी की तरफ बढ़ी वहां पर भी अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। वहां से रानी ग्वालियर की तरफ भागी। अंग्रेजों की सेना उनका पीछा कर रही थी। इस युद्ध में उनकी विश्वस्त अंगरक्षिकाएं झलकरीबाई, मोतीबाई एवं उनकी दो सहेलियां काशी तथा मंदरा भी शहीद हो गईं। रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा एक नाले को पार करते समय मर गया और रानी अपनी देश की आजादी के लिए लड़ते हुए शहीद हो गई। उन्होंने जीते जी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की और आज़ादी के लिए संघर्ष किया। लक्ष्मीबाई के बचपन में ही मां की मृत्यु हो जाने पर पिता ने इनका पालन–पोषण किया। वे अपने पिता के मित्रों के बेटों के साथ–साथ लिखाई–पढ़ाई, खेलना–कूदना, व्यायाम, घुडसवारी तथा युद्ध कला सीखी। यही कारण था कि अंग्रेजों से लड़ते समय वह निडर होकर बहादुरी से दुश्मनों का सामना करती रही। रानी ने अपने जीवनकाल में अपने राज्य की रक्षा की, अंग्रेजों से घमासान युद्ध किया, आखिरी सांस तक लड़ती रहीं। हार मानना तो जैसे वह जानती ही न थीं, अपनी वीरता से साबित कर दिया कि वे महान नारी शक्ति हैं। देश–विदेश में उनकी बहादुरी की चर्चा व प्रशंसा हुई। उनकी हिम्मत ने भारत के अनेक पुरूष तथा महिलाओं को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया।

• कस्तूरबा गांधी

महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबाई का जन्म 1869 में हुआ था। उनके पिता एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। वह बचपन में स्कूल नहीं गई थी। तेरह वर्ष की उम्र में उनकी शादी महात्मा गांधी के साथ हुई। गांधीजी अपनी पत्नी को एक आदर्श पत्नी के रूप में देखना चाहते थे। इसलिए गांधीजी उन्हें पढ़ाने की कोशिश करते थे। उन्होंने गुजराती में थोड़ा बहुत पढ़ना सीख लिया। गांधीजी की दक्षिण अफ्रीका की यात्रा में वह साथ थी। पति के सुख–दुःख व हर काम में साथ देना ही उनका जीवन था। अफ्रीका में उनका जीवन उनके लिए अग्नि–परीक्षा के समान था। वह बहुत सहनशील, मेहनती व स्वाभिमानी थी। उन्होंने कपड़े धोने, बर्तन मांजना आदि काम अफ्रीका में अपने पति से सीखा।

दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने विवाह पंजीकरण कराए जाने का कानून बनाया। जिसका मतलब था जिनके विवाह का

पंजीकरण हुआ है वे ही विवाह मान्य थे बाकी सब विवाहों की मान्यता रद्द कर दी थी। इस कारण बहुत से भारतीयों के विवाहों की मान्यता रद्द हो गई। ऐसा करके वे भारतीयों की संपति को हथियाना चाहते थे। गांधीजी ने इसका विरोध किया और आंदोलन चलाया। गांधीजी गिरफ्तार हुए। ऐसे कठिन समय में कस्तूरबा बाई ने घर–घर जाकर वहां की महिलाओं को सत्याग्रह के लिए जागरूक किया। सरकार ने उन्हें भी जेल में डाल दिया। इस आंदोलन से उन्हें विवाह कानून में बदलाव लाने में सफलता मिली।

भारत आकर गांधीजी ने देखा कि बिहार के चम्पारण गांव में किसान अपनी ही जमीन के आधे से ज्यादा भाग में नील की खेती कर रहे थे और नील उत्पादन करने के लिए असल मालिकों द्वारा बनाए कानून से बंधे हुए थे। इस कानून को रद्द करने लिए गांधीजी ने सत्याग्रह शुरू किया। कस्तूरबा को गांव के किसानों को धैर्य देने, लोगों को सफाई की शिक्षा और व्यवस्था का काम दिया। कस्तूरबा ने घर–घर जाकर चम्पारण के गरीब और गंदगी में रहने वाली महिलाओं को सफाई से रहने तथा रोज नहाते रहने की सीख दी। सत्याग्रह छिड़ने के बाद वह गांव–गांव घूमकर गरीब और असहाय लोगों की मदद करती थी। उन्होंने अपने पति का साथ दिया व सबके लिए तीन बातें समझाईं कि सब लोग विदेशी कपड़े पहनना छोड़ दें, महिलाएं चरखा चलाना और सूत कातना अपना कर्तव्य समझें, विदेशी कपड़े खरीदना बंद कर दें।

1921 के सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन मे वे सबसे आगे थीं। गुजरात के बारदोली सत्याग्रह में उनके प्रयत्न से गरीब किसानों का साहस बढ़ता गया।

1939 में दूसरे विश्वयुद्ध के समय कस्तूरबा ने गांधीजी द्वारा चलाए गए आंदोलन में सहयोग दिया। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी और उनके अनुयायी गिरफ्तार हुए। उसी शाम को शिवाजी पार्क में कस्तूरबा ने आम जनता के सामने भाषण देने का तय किया किंतु इससे पहले ही उन्हें जेल के बदले आगाखां महल में भेज दिया गया। यहां भी वह गांधीजी के साथ थी।

बापू के 21 दिनों का उपवास के कारण वह दुःखी हो गईं। उनके हृदय रोग के कारण गुर्दो ने काम करना बंद कर दिया, उन्हें निमोनिया भी हुआ था। 22 फरवरी 1944 को 'बा' का स्वर्गवास हो गया।

• सरोजिनी नायडू

सरोजिनी नायडू का जन्म हैदराबाद में हुआ था। इनके पिता भारतीय संस्कृति के विद्वान व कुशल वैज्ञानिक थे। उन्होंने हैदराबाद में निजाम कालेज की स्थापना की। इनकी माता वरदा सुंदरी बांग्ला में कविता लिखती थी। बारह वर्ष की उम्र में ही सरोजिनी नायडू ने हाईस्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। इन्होंने अपनी पढ़ाई हैदराबाद और इंग्लैंड में की। छोटी उम्र में ही देशभक्ति के गाने लिखे, जिससे देश के लोग बहुत प्रभावित हुए। वह स्वयं बंगाली ब्राह्मण थी परन्तु शादी एक दक्षिण भारतीय श्री जी. के. नायडू, क्रिकेट खिलाड़ी से की।

सरोजनी उस जमाने की एक मशहूर कवियत्री व कांग्रेस की प्रमुख नेता भी थी। इन्होंने अपनी इन कलाओं का फायदा उठाते हुए भारत के लोगों को अंग्रेजो के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जगाया। 1915 के मुस्लिम लीग के अधिवेषन में महात्मा गांधी, पंडित मदनमोहन मालवीय के साथ सरोजिनी ने भी भाग लिया था। सरोजिनी को अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का सम्मान मिला। कवियत्री होने के नाते उन्हें 'भारत–कोकिला' भी कहा जाता है। वे स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल एवं उत्तरप्रदेश की राज्यपाल बनी।

वे भारतीय नेशनल कांग्रेस की सदस्य थी। उन्होंने अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों की मदद की, गांधीजी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया, अपने अन्दर की ताकत व कविता लिखने और कहने की कला को पहचाना और उसे बढ़ावा दिया इससे उनको प्रसिद्धि मिली और भारत के लोगों को आज़ादी की लड़ाई के लिए जागरूक करने में भी वह सफल हुई। इस तरह हम देखते है यदि महिला उच्च शिक्षित हो तो वह अनेक काम करने की क्षमता रखती है।

• विजयलक्ष्मी पंडित

इनका जन्म 1900 में हुआ था। यह पंडित मोतीलाल नेहरू की बेटी तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थीं। भारत में हुए स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव उन पर पड़ना स्वाभाविक ही था, क्योंकि पिता व भाई देश की राजनीति में सहभागी थे। इन्होंने अपने पिता से ज्ञान और भाई से अनुशासन की शिक्षा ली। विजयलक्ष्मी बचपन से ही निडर थी। आज़ादी की लड़ाई में इनका काम बहुत महत्वपूर्ण है। वह कई बार जेल भी गई। आज़ादी मिलने के बाद इन्होंने अनेक सरकारी पदों पर काम किया। वह इंग्लैण्ड, अमेरिका तथा सोवियत संघ में भारत की राजदूत थी। वह संसार की प्रथम महिला थी जो 1954 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा अध्यक्षा चुनी गई। इस तरह वे एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व बनीं। 1962 में महाराष्ट्र की राज्यपाल बनी। विजयलक्ष्मी पंडित की जीवन गाथा पढ़कर आप समझ गए होगें कि किसी भी क्षेत्र में वह अपने भाई और पिता से कम न थी। उनके माता–पिता ने भेदभाव न कर दोनों को समान शिक्षा दी ताकि दोनों का विकास बराबर हो।

## संस्थान के समाचार

### कार्यशाला में संस्थान की कार्यक्रम अधिकारी

1 से 3 अगस्त 2007 तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिल्ली द्वारा तीन दिवसीय बच्चों के अधिकारों पर क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन भोपाल में किया गया। इसमें मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात एवं गोआ से आए 56 प्रतिभागियों ने भाग लिया। संस्थान से कार्यक्रम अधिकारी सुश्री अर्चना मारगोनवार ने भाग लिया। कार्यशालाएं भारत के पांच क्षेत्रों में होना है। यह दूसरी बैठक थी। बैठक में सरकारी अधिकारी, समाज के प्रतिनिधि, बाल अधिकार के लिए काम करने वाली संस्थाएं शामिल थीं।

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जनवरी 2004 में हुई बाल अधिकार समिति के काम की समीक्षा करना और जुलाई 2008 में होने वाले सम्मेलन की तैयारी करना। कार्यशाला में बाल अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। इसमें छोटे–छोटे समूह बनाकर राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून, नीतियां, कार्यक्रम और योजनाओं को लागू करने में आने वाली परेशानियों व चुनौतियों पर चर्चा की गई।

सुश्री अर्चना मारगोनवार ने प्रशिक्षणार्थियों से चर्चा कर गांव में स्कूलों की स्थिति, शिक्षकों द्वारा बच्चों को दी जानी वाली सजा, माता–पिता का बच्चों के साथ व्यवहार, लड़की के प्रति भेदभाव, बच्चों का कम उम्र में काम करना आदि के बारे में जानकारी कार्यशाला में प्रस्तुत की।

### मां के दूध के महत्व पर जानकारी

विश्व स्तनपान सप्ताह जो पूरे विश्व में 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। संस्थान में 7 अगस्त 2007 को बॉम्बे हास्पिटल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. नीरजा पौराणिक ने प्रशिक्षणार्थियों को मां का दूध के महत्व पर जानकारी दी। उनके साथ चार नर्स भी आई थीं जिन्होंने लघु नाटिका के द्वारा मां का दूध के महत्व को समझाया। मौखिक व लिखित प्रश्नों द्वारा लड़कियों से कई प्रश्न पूछे? इसी दौरान मां का दूध के बारे में सही गलत मान्यताओं पर चर्चा की। मां का दूध बच्चे के लिए अमृत समान है जो बच्चे को जीवन भर बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। बच्चे को छः महीने तक हर ढ़ाई या तीन घंटे में केवल मां का दूध ही पिलाना चाहिए। मां के शरीर में ज्यादा दूध बने इसके लिए उसे पौष्टिक, हरी पत्तेदार सब्जियां, ज्यादा से ज्यादा पानी और पतली चीजों को खाना चाहिए। छः महीने के बाद बच्चे को दाल का पानी, दलिया, मसले आलू, रोटी–दूध, खिचड़ी, फल आदि देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने माहवारी से जुड़ी मान्यताओं पर भी चर्चा की गई।

संस्थान में विष्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर डॉ. नीरजा पौराणिक प्रषिक्षणार्थियों को मां का दूध के महत्व पर जानकारी देती हुई

### राष्ट्रीय जनसहयोग एवं बाल विकास संस्था, नई दिल्ली के निदेशक संस्थान में

10 अगस्त 2007 को राष्ट्रीय जनसहयोग एवं बाल विकास संस्था, नई दिल्ली के निदेशक डॉ. ए. के. गोपाल और क्षेत्रीय निदेशिका डॉ. एम. एस. तारा संस्थान में आए। संस्थान के प्रबंधक श्री जिम्मी ने सारी गतिविधियों की जानकारी दी। प्रशिक्षणार्थियों के उत्साह और आत्मविश्वास

देखकर वे बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि समाज के पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए संस्थान बहुत अच्छा काम कर रहा है साथ ही इस महान देश की महिलाओं के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का काम जारी रखें।

### संस्थान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया

15 अगस्त 2007 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बरली संस्थान में झंडावंदन कार्यक्रम मनाया गया। यह कार्यक्रम संस्थान की निदेशिका डॉ.(श्रीमती) जनक मगिलिगन, प्रबंधक श्री जिम्मी मगिलिगन, निदेशक मंडल की सदस्या डॉ गीता हांडा की उपस्थिति में प्रशिक्षणार्थी मनीषा कनासे, पिंकी सिसोदिया, हिरू डुडवे व शर्मिला सोलंकी जिला खरगोन के द्वारा किया गया। निदेशिका ने आज़ादी के 60 वर्ष पूरे होने पर बधाई देते हुए आज़ादी की लड़ाई मे शहीद हुए लोगों को याद किया और कहा कि अहिंसा आंदोलन द्वारा हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आजादी दिलवाई। हमें अपने देश के प्रति वफादार रहते हुए अपने अधिकारों का सही उपयोग करना चाहिए, अपने देश के कानून को मानना

चाहिए। झंडावंदन के बाद मेरी कोम, रेखा सिन्हा व पिंकी सिसोदिया ने हिन्दी में देशभक्ति, शर्मिला एवं सीमा ने भिलाली और बारेला बोली में झंडावंदन गीत गाए। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम अधिकारी सुश्री अर्चना मारगोनवार तथा आभार प्रदर्शन श्रीमती गीता हांडा ने किया।

निपसिड से एक समूह संस्थान देखने आया

23 अगस्त 2007 को 19 बाल विकास/सहायक, बाल विकास परियोजना अधिकारियों का एक समूह संस्थान में आया। वे प्रशिक्षणार्थियों का आत्मविश्वास और लगन देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि संस्थान महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रशंसनीय काम कर रहा है। महिलाएं यहां पर कटाई–सिलाई, पढ़ाई–लिखाई, स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी शिक्षा ले रही हैं जो उनके व्यक्तित्व को निखारने में काफी सहायक होगा।

संस्थान में माता –पिता की बैठक

25–26 अगस्त 2007 को बरली संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही बहनों के माता–पिता के लिए दो दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। इसमें धार, झाबुआ, खरगोन, देवास और इंदौर जिले के 24 गांवों से बहनों के 85 रिश्तेदारों ने भाग लिया। सभी का स्वागत कार्यक्रम अधिकारी सुश्री अर्चना मारगोनवार ने किया। बैठक का उद्देश्य बताते हुए कहा कि प्रशिक्षण शुरू होने के तीन महीने के बाद माता–पिता की बैठक बुलाई जाती है ताकि वे अपनी बेटियों में प्रशिक्षण के दौरान आए बदलाव को देख लें। पहले दिन माता–पिता संस्थान में प्रशिक्षण के तरीके को देखते हैं और समझते हैं कि इनकी बेटियां किस तरह से इन विषयों को सीखती हैं। अभिभावकों ने समझने के बाद महसूस किया कि यह ज्ञान उनकी बेटियों के जीवन में पग–पग पर सहायता करेगा। वे जीवन में आने वाली कठिनाइयों का मुकाबला कर सकेंगी। कक्षा के समय में प्रशिक्षणार्थियों ने संस्थान की पुस्तकों, अपने हाथ से सिले कपड़े, लिखी कापियॉ, फाइलें और ड्रॉफ्ट अपने माता–पिता को दिखाए। रात में एड्स के बारे में ट्रेनिंग इंचार्ज श्रीमती डेढ़ी बागदरे ने जानकारी दी। एड्स की जानकारी ही बचाव है। स्लाइडस के द्वारा रोज के कामों को दिखाया गया। अपनी बेटियों को बागवानी, साफ–सफाई, खाना बनाने में मदद, पढ़ाई, सिलाई करते देखकर माता–पिता खुश हुए।

दूसरे दिन निदेशिका डॉ. (श्रीमती) जनक ने सभी का स्वागत किया और बैठक में आने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इन तीन महीनों में माता–पिता ने जो भी बदलाव अपनी बेटियों में देखा है, वे सभी को बताएं। संस्थान के लिए उनके पास कोई सुझाव हो तो दें। संस्थान में काम करने वाले स्टाफ के सदस्यों परिचय दिया। बाद में माता–पिता से उनके अनुभव सुने कि संस्थान में रहकर अपनी बेटियों में क्या बदलाव देखा है।

गांव जेतपुर से आए सीमा के पिता श्री इंदर सिंह किराड ने कहा वे बहुत खुश हैं कि उनकी बेटी पढ़ना–लिखना सीख गई हैं और लड़कियां बहुत अनुशासित हैं। इसी गांव से लक्ष्मी की मां श्रीमती राहबाई ने कहा कि उनकी बेटी बोलना सीख गई है वह घर पर चुपचाप रहती थी। गांव कोठा से आए रंगीता सोलंकी के पिता श्री पन्नालाल ने बताया कि ''यहां पर सभी लोग एक परिवार की तरह रहते हैं और सारे काम मिलजुल कर करते हैं। एक दूसरे में सहयोग की भावना देखकर बहुत अच्छा लग रहा है।'' उनकी बेटी को हर काम करते देख वे खुश हो गए क्योंकि वह घर पर कोई काम नहीं करती थी। रितु के पिता गांव अली कामत से श्री सुरसिंह चौहान ने कहा कि उनकी बेटी सबके सामने माइक पर बोलने लगी है। लीला और सावित्री दो बहनों की माता श्रीमती पेरवी बाई गांव चाकल्या ने कहा कि यहां का माहौल

संस्थान में माता–पिता की बैठक

बिल्कुल घर जैसा है। पहले उन्हें चिंता रहती थी कि उनकी बेटियां कहां और कैसे रहती हैं लेकिन अब वे बेफिक्र और संतुष्ट हैं। रेखा सोलंकी के पिता गांव चिरिया से श्री चंदरसिंह बेटी में आए आत्मविश्वास को देखकर प्रसन्न थे कि वह कोई भी काम कर सकती है। उनकी बेटी ने सीखा कि कोशिश करने से मुश्किल काम आसान हो जाता है। मनीषा के पिता सामरपाट से श्री गोपाल कनासे ने कहा कि संस्थान द्वारा ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम अत्यंत सराहनीय है। सभी प्रशिक्षणार्थियों के माता–पिता ने अपनी बेटियों के उत्साह, लगन और बदलाव को देखकर अपनी खुशी जाहिर की।

डॉ. प्रकाष छजलानी संस्थान में

माता–पिता की बैठक के पहले दिन 25 अगस्त 2007 को रात 8 बजे डॉ प्रकाश छजलानी, कॉस्मेटिक एवं प्लास्टिक सर्जन ने कटे होंठ एवं तालू के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कई लोग कहते है कि पिछले जन्म में किए गए पापों का परिणाम है। इसका कोई ठोस कारण अभी तक पता नही चला है। डॉक्टरों का मानना है कि कम उम्र में या 35 साल के बाद मां बनने पर, गर्भवती महिला को पौष्टिक आहार नहीं मिलने या परिवार में पहले से ही किसी को इस तरह की समस्या होने पर बच्चों में कटे होंठ तालू होने की संभावना बढ़ जाती है। इसको ऑपरेशन द्वारा ठीक किया जा सकता है। उन्होंने पहले भी संस्थान की पूर्व प्रषिक्षणार्थियों के माध्यम से भेजे गए बहुत से बच्चों के निःषुल्क आपरेषन किए हैं। उन्होंने पुस्तिका व पोस्टर दिए और अपने गांव में बताने के लिए कहा। डॉक्टर साहब के यहां गरीब और आदिवासी जो गरीबी रेखा के नीचे हैं वे निःषुल्क इलाज के लिए संपर्क कर सकते हैं :–

डॉ. प्रकाष छजलानी

गंगा–जमना अपार्टमेंट, नाथ मंदिर के पास, साउथ तुकोगंज, इन्दौर फोन : 0731–2511411, 2511412

स्वयंसेविकाएं

इंग्लैंड से लंदन यूनिवर्सिटी की सुजान, केंब्रीज यूनिवर्सिटी की लीसा ने 9 जुलाई 2007 से 26 अगस्त 2007 तक संस्थान में अपनी सेवाएं दी। उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त कर रही लड़कियों से मिलना और उनके जीवन के बारे में जानना बहुत अच्छा लगा। उन्होंने निदेशिका, प्रबंधक और बरली परिवार के हर सदस्य को संस्थान की सफलता के लिए धन्यवाद दिया। उन्हें दुःख है कि यहां पर काफी कम समय के लिए अपनी सेवाएं दी। वो कोशिश करेंगी कि भविष्य में वे यहां पर फिर से आएंगी।

राखी पर पेड़ लगाए गए

28 अगस्त 2007 को रक्षाबंधन के अवसर पर संस्थान में वरिष्ठ समाजसेवी श्री किशन मल्होत्रा, उनकी पत्नी व व्यापारी श्री राजेन्द्र ओछानी, उनकी पत्नी ने अनार और पपीते के पेड़ लगाए। ये पेड़ संस्थान की निदेशिका को उपहारस्वरूप दिए गए क्योंकि इसके अलावा वे दूसरा कोई उपहार स्वीकार नही करती हैं। उनका मानना है कि रक्षाबंधन का मतलब है रक्षा करना और जब रक्षा करने की जरूरत पड़ती है तो भाई हर वक्त साथ नही होंगे लेकिन पेड़ जहां पर भी लगाएगें, वे हमेशा दूसरों की रक्षा करेंगे।

प्रिंटेड मैटर–बुक पोस्ट

पता

_____

_____

_____

_____


विषेष सूचना

प्रशिक्षण लेकर आप स्वयं के लिए, अपने परिवार और अपने गांव के लिए जो भी काम कर रहे हों, हमें जरूर लिखकर भेजें ताकि आपके समाचार ''बरली की दुनिया'' में छाप सकें।


संपादिका ''बरली की दुनिया''

बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान

180, भमौरी, न्यू देवास रोड़,

इंदौर–452010(म.प्र.) फोन : 0731–2554066





बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान की ओर से बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान, 180 भमोरी, न्यू देवास रोड़, इन्दौर – 452010 द्वारा मुद्रित एवं प्रकाषित मुद्रण स्थल : राजा ऑफसेट, 863/9,नेहरूनगर, इन्दौर द्वारा मुद्रित संपादक : डॉ. (श्रीमती) जनक पलटा मगिलिगन